

22

मध्यप्रदेश शा  
सामान्य प्रशासन।  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 31 मार्च, 2018

क्रमांक एफ 19-11/2018/1/4 :: राज्य शासन, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिव्यांगों के पदों के चेन्हांकन एवं उससे सुसंगत परिवारों के निराकरण हेतु एतद्वारा, निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन करता है :-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	सदस्य
5	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार)

क्रमांक एफ 19-11/2018/1/4

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2018

प्रतिलिपि :-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
  2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
  4. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी टीप क. 234/आ प्र./एक, दिनांक 26.03.2018 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  5. उपसंचालक, जवहर्लाल नेहरू मंत्रालय भोपाल।
- ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप. सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग